

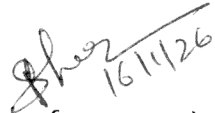
न्यायालय:- प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक- 62

दिनांक- 16.01.2026

॥ आंशिक संशोधन आदेश ॥
--:: आपराधिक कार्य विभाजन वर्ष 2026 ::--

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म.प्र. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 15 शिवपुरी, दिनांक 09.01.2025 की कंडिका क्र. 2 की उप कण्डिका क्र. 4 में वर्णित थाना यातायात को विलोपित किया जाता है, उसके स्थान पर थाना फिजीकल पढ़ा जायें।

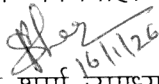

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0

पृष्ठांकन क्र.- 63

शिवपुरी, दिनांक- 16.01.2026

प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला-शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
- 02- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम/द्वितीय श्रेणी शिवपुरी/करैरा/पिछोर/कोलारस/पोहरी/खनियांधाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 03- पुलिस अधीक्षक जिला-शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 04- जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05- जिला विधिक सहायता अधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
- 06- अध्यक्ष अभिभाषक संघ शिवपुरी/करैरा/पिछोर/कोलारस/पोहरी/खनियांधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07- सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-शिवपुरी, (म.प्र.)